न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 15/2014 (राजसमन्द डिक्री)

1. कुंवरी पिता गुणेश जी पत्नी अमरचन्द जी, जाति गाडरी, निवासी सांसेरा, हाल मेणिया, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. जेती पिता गुणेश जी पत्नी पोखर जी, जाति गाडरी, निवासी सांसेरा, हाल चराणा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. रघु पिता गुणेश जी पत्नी जीतु जी, जाति गाडरी, निवासी सांसेरा, हाल कारोलिया, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. मु0 देऊ विधवा गुणेशलाल जी, जाति गाडरी, निवासी सांसेरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (मृतक) नाम तर्क किया गया
2. मोती पिता खुमा जी, जाति गाडरी, निवासी सांसेरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. मांगु पिता हरिराम जी, जाति गाडरी, निवासी सांसेरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. लेहरू पिता जी, जाति गाडरी, निवासी सांसेरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (मृतक) नाम तर्क किया गया
5. सुखा पिता हरिराम जी, जाति गाडरी, निवासी सांसेरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
6. शंकर पिता हरिराम जी, जाति गाडरी, निवासी सांसेरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
7. नानी पिता हरिराम जी, जाति गाडरी, निवासी सांसेरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
8. देवीलाल पिता हजारी जी, जाति गाडरी, निवासी सांसेरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
9. रामलाल पिता हजारी जी, जाति गाडरी, निवासी सांसेरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
10. मांगीलाल पिता चुन्नीलाल जी, जाति गाडरी, निवासी सांसेरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

11. लादी पुत्री चुन्नीलाल जी पत्नी बाबुलाल जी, जाति गाडरी, निवासी कारोलिया, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

12. सीता पिता नगजीराम जी पत्नी शंकरलाल जी, जाति गाडरी, निवासी लाठिया की खेड़ी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

13. जमरी विधवा नगजीराम जी, जाति गाडरी, निवासी सांसेरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

14. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा – 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा दि॰
18–11–2011 प्रकरण सं0 34 / 2011

———::———

उपस्थित (वक्तबहस) 1– श्री एस.एस. पालीवाल अभिभाषक अपीलान्टगण
2– राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 14

———::———

निर्णय **दिनांक 18–06–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट / वादीगण द्वारा रेस्पोन्डेन्ट / प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सांसेरा में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित कुल किता 7 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें पक्षकारान का हिस्सा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार है तथा वाद पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार कुल किता 8 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा भूमि में प्रतिवादीगण लेहरू, सुखा, शंकर व नोजी का 1 / 2 हिस्सा तथा वादीगण व उनकी माता देउ का 1 / 2 हिस्सा है। वादीगण का नाम उनके पिता की मृत्यु के बाद वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित भूमियों में अंकित हो गया, किन्तु वाद पत्र की कलम संख्या 3 की भूमियों मं वादीगण का नाम अंकित नहीं हुआ, जिससे खातेदारी अधिकारों की घोषणा की सहायता भी जोड़ी गयी है। भूमियों का विभाजन नहीं होने से विकास नहीं हो पा रहा है। अतएवं निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमियों का

वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर विभाजन कराया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 से 14 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण की साक्ष्य लेने के बाद दिनांक 28–11–2011 को प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी करते हुए वाद पत्र की कलम संख्या 3 की भूमियों की खातेदारी घोषित नहीं की तथा वाद पत्र की कलम संख्या 1 की भूमियों के लिए विभाजन का वाद स्वीकार कर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इसके पश्चात विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाकर प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 23–12–2011 को प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी की।

अपीलान्ट/वादीगण द्वारा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 28–11–2011 के विरूद्ध इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 01–07–2014 को पेश की है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट्स ग्रामीण अनपढ़ महिलाऐ हैं, जिन्हें उनके अधिवक्ता ने विश्वास दिलाया था कि उक्त भूमियां उनके खाते करवा दी जायेगी एवं जब आवश्यकता होगी तुम्हें बुला लेंगे, किन्तु उनके अधिवक्ता द्वारा उन्हें निर्णय की कोई जानकारी नहीं दी गयी। अपीलान्टगण द्वारा अपने दूसरे मुकदमे के अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर उन्हें दिनांक 25–06–2014 को निर्णय की जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मियाद पेश कर दी गयी है। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

→ हमारे द्वारा उक्त आवेदन एवं बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28–11–2011 को प्रारम्भिक डिक्री पारित करते समय अपीलान्ट/वादीगण के अधिवक्ता उपस्थित थे, जिससे यह नहीं माना जा सकता कि अपीलान्ट/वादीगण को निर्णय की जानकारी नहीं थी। आश्चर्य जनक रूप से जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये हैं, उस पर तीनों वादीगणों के हस्ताक्षर हैं एवं पर्चा मौका जो दिनांक 05–12–2011 को मुर्तिब हुआ है, उस पर भी तीनों वादीगणों के हस्ताक्षर हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर उक्त रिपोर्ट पर वकील वादीगण की सहमति से दिनांक 23–12–2011 को

अंतिम डिक्री जारी की है। इससे स्पष्ट होता है कि दिनांक 28–11–2011 के निर्णय की जानकारी वादीगण को उसी दिन थी एवं उनके द्वारा अधिवक्ता द्वारा सूचना नहीं दिये जाने के तथ्य मिथ्या एवं भ्रामक प्रस्तुत किये गये हैं। अतएवं उनके द्वारा यह कहना कि उन्हें निर्णय की जानकारी नहीं थी एवं दूसरे अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर उन्हें दिनांक 25–06–2014 को निर्णय की जानकारी हुई, मिथ्या एवं भ्रामक है। अपील 2½ वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जिसके लिए जो आधार लिये गये हैं वे न तो उचित हैं न ही पर्याप्त। जब भी कोई आवेदक न्यायालय में उपस्थित होता है तो उसे स्वच्छ हाथों से आना चाहिए। इस प्रकरण में रेकार्ड से ही यह सुस्पष्ट है कि अपीलान्ट/वादीगण द्वारा निहायत भाम्रक एवं झूठे तथ्य दिये गये हैं, जो 2½ वर्ष विलम्ब के लिए उचित एवं पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार अपील बेरून मयाद होने से खारिज योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28–11–2011 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 18–06–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

कुंवरी पिता गुणेश जी गाडरी पत्नी अमरचन्द गाडरी, नि0 सांसेरा, हाल मेणिया, तहसील रेलमगरा व अन्य बनाम **मु. देउ विधवा गुणेशलाल गाडरी निवासी सांसेरा, तह0 रेलमगरा, जिला राजसमन्द व अन्य**

अपील नं.....**15 / 2014**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**रेलमगरा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**28**.....माह.....**11**.....**2011**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**18**.....माह.....**06**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी....**श्री एस.एस. पालीवाल**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**पैरोकार सरकार**.....

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28–11–2011 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**18**.....माह.....**06**.....**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।